



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात

दिनांक- 13.07.2026

थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 15.05.2026 को थाना शिवली पर वादी द्वारा अपनी पुत्री के घर से स्कूल जाने व वापस न आने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा 137(2) बीएनएस अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/ अपहृता को दिनांक 22.05.2026 को बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता/ अपहृता के बयान धारा 180/183 बीएनएसएस, मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शुभम पुत्र शम्भूदयाल निवासी नगवा थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा धारा 64(1)/127(2)/351(3)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 13.07.2026 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शुभम पुत्र शम्भूदयाल निवासी नगवा थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर को ग्राम बैरी तिराहे थाना क्षेत्र शिवली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

शुभम उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र शम्भूदयाल निवासी नगवा थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 176/2026 धारा 137(2)/64(1)/127(2)/351(3)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा

हे0का0 04 आलोक कुमार तिवारी

का0 498 बॉबी